पत्रांक–9/सै0 किशनगंज–I–19/2026–1859 (9)/रा0,

# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार सी. एच.,
अपर सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–13/07/2026

विषयः– सैरातों की बन्दोबस्ती की कार्रवाई ससमय किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है विभागीय परिपत्र सं0–1637(9), दिनांक–03.06.2025 द्वारा सैरातों की बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन हेतु विस्तृत दिशा–निदेश संसूचित है। इसी प्रकार विभागीय परिपत्र सं0–3454(9), दिनांक–13.10.2025 द्वारा सैरातों की बन्दोबस्ती की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव एवं अभिलेख विभागीय दिशा–निदेशों के अनुरूप ससमय विभाग को उपलब्ध कराये जाने का निदेश संसूचित है। उक्त के आलोक में विभिन्न सैरातों की बन्दोबस्ती का प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा के साथ विभाग को प्राप्त कराए जाते है।

परन्तु, सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु प्राप्त कतिपय अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बन्दोबस्ती की कार्रवाई में विभागीय दिशा–निदेशों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अभिलेख के साथ संलग्न चेक–लिस्ट में सभी प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में सैरातों की बन्दोबस्ती की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होता है तथा ससमय सैरात की बन्दोबस्ती नहीं होने से राजस्व की क्षति होती है।

साथ ही, सैरातों की बंदोबस्ती अभिलेख के साथ बन्दोबस्तधारी द्वारा बन्दोबस्ती की राशि जमा किये जाने संबंधी नाजीर रसीद/बैंक ड्राफ्ट की प्रति संलग्न कर भेजी जाती है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उक्त राशि सरकारी खाता में जमा कराया गया है अथवा नहीं। बन्दोबस्ती अभिलेख के साथ बन्दोबस्त की राशि सरकारी कोष में जमा करने संबंधी प्रमाण (कोषागार चालान टोकन नम्बर सहित) संलग्न किया जाना आवश्यक है।

अतएव अनुरोध है कि सैरातों की बन्दोबस्ती की कार्रवाई विभागीय दिशा–निदेशों के अनुरूप किया जाय तथा बन्दोबस्ती अभिलेख के साथ बन्दोबस्ती राशि कोषागार में जमा कराये जाने संबंधी चालान की प्रति भी अनिवार्यतः संलग्न किया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/– 13/07
(प्रशांत कुमार सी. एच.),
अपर सचिव।

ई–मेल

ज्ञापांक–9/सै0 किशनगंज–I–19/2026–1859 (9)/रा0, पटना–15, दिनांक–13/07/2026

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/– 13/07
(प्रशांत कुमार सी. एच.),
अपर सचिव।

D:\Vidyasagar secon-9\2026\letter_(9)_26.doc - 154